न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
24 / 2022	202 / 045	03.03.2022	19.10.2022

उनवान प्रकरण

भवानीसिंह पुत्र गुमानसिंह आयु 62 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) हाल निवासी– 16ए चांद विहारी नगर, खातीपुरा, झोटवाड़ा जयपुर जिला जयपुर (राज0)

—वादी

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

—प्रतिवादी

उपस्थित :–
श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत, एड0 वादी अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी की ओर से।

वादपत्र बाबत घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादी के इस आशय का पेश किया कि खाता संख्या 35 की कृषि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.09 14:14:51 IST
Reason: SelfAttested

19/10/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

भूमि खसरा नम्बर 638, 639, 640, 641, 642, 643 कुल किता 6 कुल रकबा 3.39 हैक्टर एंव खाता संख्या 102 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 635 कुल रकबा 0.02 हैक्टर एंव खाता संख्या 117 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 17, 18, 19/819 कुल किता 3 कुल रकबा 2.21 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम आसपुरा पटवार हल्का आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित है। जिसके 1/10 हिस्से की खातेदारी वादी के नाम हिम्मतसिंह पुत्र गुमानसिंह अंकित है। खाता संख्या 101 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 559, 560, 561, 696/798 कुल किता 4 कुल रकबा 0.93 हैक्टर तन् ग्राम आसपुरा पटवार हल्का आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित हैं जिसके 1/40 हिस्से की खातेदारी वादी के नाम हिम्मतसिंह पुत्र गुमानसिंह अंकित है। वादी के पेनकार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि सरकारी दस्तावेज में वादी का नाम सही रूप से भवानी सिंह पुत्र गुमान सिंह ही दर्ज है जो सही एवं सत्य है। वादी को राजस्व रिकार्ड में अपना नाम भवानी सिंह पुत्र गुमान सिंह के स्थान पर हिम्मत सिंह पुत्र गुमान सिंह होने की जानकारी हुयी तब वादी ने राजस्व कर्मचारियों को इस बाबत् कहा तो उन्होंने दिनांक 28.02.2022 को कोर्ट में दावा पेश करने की कही। इस कारण दावा पेश किया जा रहा है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सही अंकित नहीं होने से वादी को सख्त हकतल्फी है। राज्य सरकार द्वारा खातेदारों को दी जाने वाली सुविधाओं से भी वादी को वंचित रहना पड़ता हैं। वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम हिम्मत सिंह पुत्र गुमान सिंह के स्थान पर भवानी सिंह पुत्र गुमान सिंह दुरूस्त करवाने का अधिकारी है तथा उक्तानुसार दुरूस्ती की जाकर राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम हिम्मत सिंह पुत्र गुमान सिंह के स्थान पर भवानी सिंह पुत्र गुमान सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाने बाबत दावा बहक प्रतिवादी के न्यायालय में पेश किया गया हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.09 14:44:51 IST
Reason: SelfAttested

इस पर वादी के [illegible] दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी को सम्मन तामील असालतन होकर लौटी है। बावजूद असालतन तामील के हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी

19/10/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में प्रतिवादी भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 1442/भू.अ./2022 दिनांक 31.05.2022 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। साक्ष्य वादी में वादी भवानी सिंह व वादी साक्ष्य गवाह में दयालसिंह पुत्र हरिसिंह के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हुए। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने एंव साक्ष्य वादी में शपथ पत्र पेश हो जाने से वकील वादी ने वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने बाबत निवेदन किया।

हमनें वादी अभिभाषक की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों वादी के आधार कार्ड, मतदाता पहिचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, भूतपूर्व सैनिकों का पहचान पत्र, आयकर विभाग का पैन कार्ड, सम्मिलित सेवा मुक्ति पुस्तिका प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि आदि मे भी वादी का नाम भवानी सिंह पुत्र गुमान सिंह अंकित होना स्पष्टः होता है एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074-2077 की चार जमाबन्दियों के अनुसार वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी में वादी का नाम हिम्मत सिंह पुत्र गुमान सिंह हिस्सा 1/10 – 1/10 व 1/40 दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है जबकि वादी का वास्तविक नाम भवानी सिंह पुत्र गुमान सिंह होना सरकारी रिकार्ड दस्तावेजात से प्रमाणित होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी जॉच रिपोर्ट में अवगत कराया है कि राजस्व ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.09 14:14:51 IST
Reason: SelfAttested

19/10/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

आसपुरा के भूमि खसरा नम्बर नम्बर 638, 639, 640, 641, 642, 643 कुल किता 6 कुल रकबा 3.39 हैक्टर की खातेदारी में प्रार्थी का नाम हिम्मत सिंह पुत्र गुमानसिंह हिस्सा 1/10 दर्ज है। उक्त भूमि प्रार्थी के नाम विरासत व मुताबिक डिक्री से नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 20 व 112 के द्वारा दर्ज रिकार्ड होना तथा प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड के अलावा समस्त अन्य दस्तावेजों मं प्रार्थी का नाम भवानीसिंह पुत्र गुमान सिंह दर्ज होना तथा हिम्मत सिंह एंव भवानी सिंह एक ही व्यक्ति होना तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है। वादी के दस्तावेजात् यथा आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड इत्यादि में वादी का नाम भवानीसिंह पुत्र गुमान सिंह दर्ज होने से एंव तहसीलदार श्रीमाधोपुर की अभिशंषा रिपोर्ट के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि तन् ग्राम आसपुरा पटवार हल्का आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.) में अवस्थित खाता संख्या 35 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 638, 639, 640, 641, 642, 643 कुल किता 6 कुल रकबा 3.39 हैक्टर एंव खाता संख्या 102 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 635 कुल रकबा 0.02 हैक्टर एंव खाता संख्या 117 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 17, 18,

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.09 14:14:51 IST
Reason: SelfAttested

19/10/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

19/819 कुल किता 3 कुल रकबा 2.21 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज 1/10 हिस्से एंव खाता संख्या 101 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 559, 560, 561, 696/798 कुल किता 4 कुल रकबा 0.93 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज 1/40 हिस्से की खातेदारी में दर्ज वादी का नाम हिम्मत सिंह पुत्र गुमानसिंह के स्थान पर भवानी सिंह पुत्र गुमान सिंह दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

19/10/22

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 19.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

19/10/22

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.09 14:14:51 IST
Reason: SelfAttested